

04/12/19 पञ्जाब की पेश हुई I.L.R 12 B.L.N.A  
 द्वारा फर्द निवासी पेश की गई लवणिक  
 बोलीगत संजीव पुत्र मोहनलाल प्राप्ति कुम्हार  
 सां 13 B.L.N.A की 300/- रु की रही उक्त  
 बोली लवणिक की गई I.L.R द्वारा निवासी शशि  
 बिरचे-यादव (नम्बर 280 दिनांक 03/12/19 द्वारा  
 राजकोष के द्वारा कर्षा कि दी गई है। जो शामिल प्रिक्ल  
 की जावे! व मांग दर्ज लेखा की जावे! पञ्जाबी शब्द  
 द्वारा अतिफर्दी को बेदावत कल कलजा बहक जाकार  
 जात कल लिखा गया है व तावत शशि वपुल कल की  
 गई है पञ्जाब की के जो क कार्यावाही अपेक्षित रही है  
 अतः पञ्जाब की फैसला पुमाट शेन्ट दाखिल करत है।

व गजिस्टर की पृष्ठ सं... 04... क्र. सं... 14...  
 दिनांक 27/12/19 राजि .300... दर्ज किया।



Form No. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

तहसीलदार (राजस्व)  
**श्रीविजयनगर**

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

सरकार बनाम अवतार सिंह 30 मम सिंह जाति रामगठिया सा 12 BLM A  
 किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 160 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशायलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
27/9/19	<p>पटवारी हल्का ... 12 BLM A ..... ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 12 BLM A के मुरब्बा नं. 221 के 0.328 बीघा, भूमिरकबा राज है जिस पर श्री अवतार सिंह पुत्र श्री मम सिंह जाति रामगठिया सा 12 BLM (A) ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2076 फसल खरीफ नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

**न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर**

प्रकरण सं० ..... 160/2019 ..... वर्ष ..... 2019

राजस्थान सरकार बनाम ..... अचारा सिंह 510 कामे सिंह

प्रस्तुतिकरण दिनांक ..... 27/9/2019 ..... निर्णय दिनांक ..... 11/10/2019

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
11/10/19	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को शामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का ..... 12BLMA का प्रतिवेदन दिनांक 27/9/2019 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अचारा सिंह पुत्र कामे सिंह जाति रामगोदिय निवासी ..... 12BLMA को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 12BLMA मु.नं. 221/4/6 कुल 0.631 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 50/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12BLMA को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11/10/2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 04 की क्रम सं. 5 दिनांक 24-10-19 को 50- दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">3 ता 0 रा 0 ले 0</p>	